भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2761

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

पारंपरिक मीटर

2761. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में संस्थापित किए गए पारंपरिक मीटरों के संबंध में कोई आंकड़े रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में 'प्री-पेड' स्मार्ट मीटर' संस्थापित किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य में जिले-वार कितने स्मार्ट मीटर संस्थापित किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश राज्य विशेषकर जौनपुर जिले में सभी पारंपरिक मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो निजी ठेकेदारों सहित इस परियोजना में शामिल की गई सभी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : उत्तर प्रदेश में कुल 2,62,94,894 पारंपरिक मीटर लगाए गए हैं। जिले-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ग) : विभिन्न एजेंसियों/योजनाओं से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 30 जुलाई 2021 तक देश भर में लगभग 2.49 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं।

(घ) : उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 11,47,910 स्मार्ट मीटर स्थापित हैं। जिलेवार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ङ) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 26.02.2021 **(प्रति अनुबंध-III पर संलग्न है)** के पत्र द्वारा सभी राज्यों से स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर/पूर्व-भुगतान मीटर में बदलने के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु अनुरोध किया है। केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नई वितरण सुधार स्कीम में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के संस्थापन हेतु राज्यों को वित्तीय सहयोग देने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

(च) : उत्तर प्रदेश राज्य ने बताया है कि राज्य में स्मार्ट मीटरों की संस्थापना से संबंधित वर्तमान परियोजना के लिए मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) कार्यान्वयन एजेंसी है। ईईएसएल विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा समर्थित एक कंपनी है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

#नाम	जिला	कुल	
		बिलयोग्य	पारंपरिक मीटर
डीवीवीएनएल	आगरा	411564	381221
डीवीवीएनएल	अलीगढ़	629904	546132
डीवीवीएनएल	औरैया	195842	190146
डीवीवीएनएल	बाँदा	276835	265634
डीवीवीएनएल	चित्रकूट	156559	147889
डीवीवीएनएल	एटा	222129	207788
डीवीवीएनएल	इटावा	222508	214571
डीवीवीएनएल	फर्रुखाबाद	262550	249090
डीवीवीएनएल	फिरोजाबाद	378573	336427
डीवीवीएनएल	हमीरपुर	186380	173743
डीवीवीएनएल	हाथरस	249328	230937
डीवीवीएनएल	जालौन	248240	238480
डीवीवीएनएल	झांसी	300472	298793
डीवीवीएनएल	कन्नौज	216273	203691
डीवीवीएनएल	कानपुर देहात	251400	242653
डीवीवीएनएल	कानपुर नगरी	222817	206123
डीवीवीएनएल	कांशीराम नगर	191070	185429
डीवीवीएनएल	ललितपुर	148705	143269
डीवीवीएनएल	महोबा	137816	135794
डीवीवीएनएल	मैनपुरी	253670	240305
डीवीवीएनएल	मथुरा	464200	367069
एमवीवीएनएल	अम्बेडकर नगर	337623	321346
एमवीवीएनएल	अमेठी	260567	252961
एमवीवीएनएल	अयोध्या	405587	384917
एमवीवीएनएल	बदायूं	357858	312872
एमवीवीएनएल	बहराइच	399424	394318
एमवीवीएनएल	बलरामपुर	241246	223879
एमवीवीएनएल	बाराबंकी	396001	368423
एमवीवीएनएल	बरेली	610335	542621
एमवीवीएनएल	गोंडा	389728	378543
एमवीवीएनएल	हरदोई	476159	470306
एमवीवीएनएल	लखीमपुर	530272	500968
एमवीवीएनएल	लखनऊ	1168158	852649
एमवीवीएनएल	पीलीभीत	281634	274215
एमवीवीएनएल	रायबरेली	501085	477906
एमवीवीएनएल	शाहजहांपुर	357465	335053

एमवीवीएनएल	श्रावस्ती	125492	125288
एमवीवीएनएल	सीतापुर	494296	479268
एमवीवीएनएल	सुल्तानपुर	363288	347350
एमवीवीएनएल	उन्नाव	475979	466041
पीयूवीएनएल	आजमगढ़	593090	523502
पीयूवीएनएल	बलिया	311014	300820
पीयूवीएनएल	बस्ती	390146	349668
पीयूवीएनएल	चंदौली	246407	228393
पीयूवीएनएल	देवरिया	422654	353541
पीयूवीएनएल	फतेहपुरी	349196	309451
पीयूवीएनएल	गाजीपुर	413722	331045
पीयूवीएनएल	गोरखपुर	753650	657861
पीयूवीएनएल	जौनपुरी	594731	467622
पीयूवीएनएल	कौशाम्बी	200872	173370
पीयूवीएनएल	कुशीनगरी	432300	392370
पीयूवीएनएल	महराजगंज	392276	354133
पीयूवीएनएल	मऊ	328833	257382
पीयूवीएनएल	मिर्जापुर	298425	267669
पीयूवीएनएल	प्रतापगढ़	456815	403861
पीयूवीएनएल	प्रयागराजी	831437	709422
पीयूवीएनएल	संत कबीर नगर	246762	230284
पीयूवीएनएल	संत रविदास नगर	182139	161641
पीयूवीएनएल	सिद्धार्थ नगर	335827	307890
पीयूवीएनएल	सोनभद्र	262240	250165
पीयूवीएनएल	वाराणसी	692860	481714
पीवीवीएनएल	अमरोहा (जेपी नगर)	320877	275927
पीवीवीएनएल	बागपत	254820	226061
पीवीवीएनएल	बिजनौर	644248	595431
पीवीवीएनएल	बुलंदशहर	584892	526715
पीवीवीएनएल	गौतम बुद्ध नगर	341235	329529
पीवीवीएनएल	गाज़ियाबाद	957408	946371
पीवीवीएनएल	हापुड़ (पंचशील नगर)	276101	251914
पीवीवीएनएल	मेरठ	763437	570472
पीवीवीएनएल	मुरादाबाद	546951	527447
पीवीवीएनएल	मुजफ्फरनगर	521380	474215
पीवीवीएनएल	रामपुरी	356462	345203
पीवीवीएनएल	सहारनपुर	624298	520797
पीवीवीएनएल	संभल	289181	262559
पीवीवीएनएल	शामली	249488	216341
यूपीपीसीएल		**29265206**	**26294894**

****

<u>अनुबंध-II</u>

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

जिला	**उत्तर प्रदेश में संस्थापित किए गए स्मार्ट मीटरों की सं.**
वाराणसी	180717
प्रयागराज	82686
गोरखपुर	56543
मेरठ	148599
सहारनपुर	49823
लखनऊ	297283
बाराबंकी	22518
बरेली	56048
मथुरा	83894
फिरोजाबाद	20837
अलीगढ़	42729
कानपुर	106233
कुल	**1147910**

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

संख्या 23/05/2020-भाग (1)
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
*****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी, 2021

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा/विद्युत विभाग
2. सभी डिस्कॉमों के मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक

विषय - स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर/पूर्व-भुगतान मीटरों का क्रियान्वयन।

महोदय/महोदया,

मुझे विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16.08.2018, 02.08.2019 और 07.08.2020 के पत्रों (प्रतियां संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी राज्यों ने स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर/ पूर्व-भुगतान मीटरों में स्थानांतरण के लिए कदम उठाए होंगे और एक रोड मैप तैयार किया होगा। कुछेक राज्यों ने पहले ही उपभोक्ता स्तरों पर पूर्व-भुगतान मीटरों का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। पूर्व-भुगतान मीटरों का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, निम्नलिखित लाभों की परिकल्पना की गई है:

(I) कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी।
(II) डिस्कॉम, विद्युत एक्सचेंज से तुलनात्मक रूप से सस्ती विद्युत खरीदने में सक्षम होंगे, जिसे वे वित्तीय बाधाओं के कारण खरीदने में असमर्थ थे।
(III) विलंबित भुगतान अधिभार का बोझ भी शून्य हो जाएगा। कुछ राज्यों में विलंबित भुगतान अधिभार पूर्णतया संतोषजनक है।
(IV) उपभोक्ता-वार आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, डिस्कॉम अपनी अवसंरचना में सुधार करने और अपने सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे।
(V) डिस्कॉम जेनकोज़, पारेषण कंपनियों, व्यापार कंपनियों को अग्रिम भुगतान करने में सक्षम होंगे, फलस्वरूप उन्हें विद्युत क्रय लागत पर लगभग 1.5% से 2% तक की छूट मिलेगी;
(VI) जैसे ही उत्पादन कंपनियां और पारेषण कंपनियां समय पर अथवा अग्रिम में भुगतान करने लगेंगी, उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं में कमी आएगी और उस सीमा तक, टैरिफ भी कम होगा।
(VII) लागत में बचत होगी क्योंकि इससे भौतिक बिल भेजने की कोई आवश्यकता नही रह जाएगी - इससे अनियमित बिलिंग, विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में - जहां मीटरों की नियमित रूप से रीडिंग नहीं ली जाती है और बिलों को या तो तिमाही रूप से या अर्द्धवार्षिक रूप से या कभी-कभार वार्षिक रूप से प्रेषित किया जाता है - की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। बिलों की अनियमितता से संचयी देयताएं उत्पन्न होती हैं जिनका डिस्कॉमों को समय पर भुगतान करने में ग्रामीण उपभोक्ताओं को कठिनाई होती है और राशि में विलंबित भुगतान अधिभार भी जोड़ दिया जाता है। प्रीपेमेंट मीटरों के साथ, उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार और अपनी भुगतान क्षमता के अनुसार छोटी राशियों में भुगतान कर सकते हैं।

2. केंद्रीय बजट, 2021-22 में, माननीय वित्त मंत्री जी ने 5 वर्षों के लिए 3,05,984/- करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ सुधार-आधारित-परिणाम-संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के अंतर्गत डिस्कॉमों को वित्तीय सुधारों से जुड़े पूर्व-भुगतान स्मार्ट मीटरिंग, फीडर पृथक्करण, प्रणालियों के उन्नयन आदि सहित अवसंरचना सृजन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्व-भुगतान मीटरों के लिए लगभग 1,50,000/- करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की जा रही है।

3. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55(1) और 47(5) तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की संस्थापना और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2019 के अंतर्गत मीटरिंग के संबंध में संगत प्रावधान अनुबंध पर संलग्न हैं।

4. विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 दिनांक 31.12.2020 को अधिसूचित किए गए थे और इन नियमों के अनुसार, बिना मीटर के कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और ऐसा मीटर स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर/पूर्व-भुगतान मीटर होगा। ऊपर उल्लिखित नियम का प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैः

> *"मीटर के बिना कोई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और यह मीटर स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर या पूर्व-भुगतान मीटर होगा। स्मार्ट मीटर या पूर्व-भुगतान मीटर में किसी छूट को आयोग द्वारा विधिवित अनुमोदित किया जाएगा। ऐसा करते समय, आयोग स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर या पूर्व-भुगतान मीटर के संस्थापन से विचलन की अनुमति देने के उपयुक्त औचित्य को लेखबद्ध करेगा।"*

तदनुसार, डिस्कॉमों को उपर्युक्त प्रावधान को लागू करने की आवश्यकता है। इस संबंध में राज्य आयोग से कोई विशिष्ट अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

5. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिए राज्यों से एक बार पुनः स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर/पूर्व-भुगतान मीटर में स्थानांतरण की स्कीम को समयबद्ध रीति में तैयार करने का अनुरोध किया जाता है। **राज्यों से इस पत्र के जारी होने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर अपनी योजना इस मंत्रालय को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।**

6. इसके अलावा, राज्यों द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली स्कीम में निम्नलिखित पूर्वापेक्षाओं को दर्शाया जाए:-

I. मीटर के बिना कोई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और ऐसा मीटर स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर या पूर्व-भुगतान मीटर होगा।
II. किसी भी दोषपूर्ण मीटर को केवल स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर या पूर्व-भुगतान मीटर से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
III. मौजूदा पोस्टपेड मीटरों को 3 वर्ष की अवधि के भीतर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. इसे माननीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त

ह0/-
(घनश्याम प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011 23710389

प्रति सूचनार्थ: माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव/सचिव (विद्युत) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (आर एंड आर) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, उप सचिव (आर एंड आर) के निजी सचिव, विद्युत मंत्रालय

अनुबंध

धारा 55(1) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता हैः

"(1) कोई अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले विनियमों के अनुसार किसी सही मीटर के संस्थापन के माध्यम के सिवाय नियत तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात विद्युत का प्रदाय नहीं करेगा:

परंतु अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता से मीटर की कीमत के लिए प्रतिभूति देने और उसके किराए के लिए करार करने की अपेक्षा कर सकेगा, जब तक कि उपभोक्ता मीटर का क्रय करने का विकल्प न दे:

परंतु यह और कि राज्य आयोग, अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए या ऐसे क्षेत्र के लिए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उक्त दो वर्ष की अवधि को बढ़ा सकेगा।

(2) प्राधिकरण, विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण या व्यापार के उचित लेखा और संपरीक्षा के लिए, उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण या व्यापार के ऐसे प्रक्रमों पर और उत्पादन, पारेषण या वितरण या व्यापार के ऐसे स्थानों पर जो वह आवश्यक समझे मीटरों के संस्थापन का निदेश दे सकेगा।"

धारा 47 की उप-धारा 5 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता हैः

"कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में प्रतिभूति की अपेक्षा करने का हकदार नहीं होगा, यदि प्रदाय की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति पूर्व संदाय मीटर के माध्यम से प्रदाय लेने के लिए तैयार हो जाता है।"

पूर्व-भुगतान मीटर का संदर्भ पूरे विद्युत अधिनियम, 2003 में केवल इस पैराग्राफ में दिया गया है, जिसमें व्यक्ति के लिए पूर्व-भुगतान मीटर का विकल्प चुनने पर सुरक्षा का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) (संशोधन) विनियम, 2019

सीईए ने अपना मीटर विनियम संशोधित किया है और खंड 4(1)(ख) के अनुसार, सभी नए उपभोक्ता मीटर **पूर्व-भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटर** होंगे।

"परन्तु स्मार्ट मीटरों के अलावा, अन्य मौजूदा मीटरों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पूर्व-भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटरों से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।"

तथापि, मौजूदा मीटरों के संस्थापन के उद्देश्य से, केंद्र सरकार द्वारा समय-सीमा निर्धारित की जानी है।

फा. सं.26/9/2015-आईपीडीएस
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
*****

दिनांक 16 अगस्त, 2018

सेवा में,

सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा)/सभी डिस्कॉमों के प्रबंध निदेशक

विषय - आगामी 3 वर्षों के भीतर स्मार्ट/प्रीपेड मीटरों में स्थानांतरण के लिए रोड मैप - के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया माननीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के दिनांक 28.05.2018 के अ.शा. पत्र का संदर्भ लें, जिसमें आगामी 3 वर्षों के भीतर स्मार्ट/प्रीपेड मीटर या प्रीपेड मीटरों में स्थानांतरण के लिए एक रोडमैप तैयार करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, 2016 में पहले से ही 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए दिसम्बर, 2019 तक स्मार्ट मीटरों की संस्थापना को अनिवार्य किया गया है। इसमें यह भी इंगित किया गया है कि धीरे-धीरे सभी उपभोक्ताओं के लिए सभी प्रकार के मीटरों को स्मार्ट मीटरों में परिवर्तित किया जाएगा।

2. राज्यों द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं के आधार पर, भारत सरकार ने आईपीडीएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग के लिए 830 करोड़ रूपये तक की निधियां संस्वीकृत की हैं। स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन के तहत भी स्मार्ट मीटरों के लिए वित्तपोषण किया गया है। इसके साथ-साथ, यह देखा गया है कि कई राज्यों ने ईईएसएल के साथ व्यापार मॉडल के अंतर्गत बहुपक्षीय वित्पोषण के अधीन स्मार्ट मीटरिंग की परियोजनाएं भी आरम्भ कर दी हैं।

3. स्मार्ट मीटरों में प्रीपेड मोड में संचालन की संभावना का अतिरिक्त लाभ होता है। प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटरों या साधारण प्रीपेड मीटरों से मीटर रीडिंग और बिलिंग की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर चोरी का पता लगाने में भी सक्षम होंगे क्योंकि इन मीटरों से वास्तविक समय ऊर्जा संपरीक्षा सक्षम होगी, जिससे एटीएंडसी हानि की कमी के लिए यह एक प्रमुख इनेबलर होगा। प्रीपेड मोड उपभोक्ताओं, ग्रामीण क्षेत्रो के उपभोक्ताओं सहित, को अपनी आवश्यकता के अनुसार विद्युत का उपयोग करने में सक्षम बनाता है और विद्युत की लागत को उनके लिए विशिष्ट बनाते हुए ऊर्जा संरक्षण उपायों को सक्षम बनाया जाएगा।

4. अतः माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जी के अनुमोदन से यह परामर्श दिया जाता है कि राज्य आगामी तीन वर्षों की अवधि के भीतर अर्थात् मार्च, 2021 तक प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर/साधारण प्रीपेड मीटर में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकते हैं। कृपया, इसके लिए एक रोडमैप यथाशीघ्र इस मंत्रालय को अग्रेषित किया जाए।

भवदीय,
ह0/-
(जी स्वान जा लियान)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23708051

फा. सं.26/9/2015-आईपीडीएस(खंड II)
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
*****

दिनांक 02 अगस्त, 2019

सेवा में,

सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा)/सभी डिस्कॉमों के प्रबंध निदेशक

विषय - आगामी 3 वर्षों के भीतर स्मार्ट/प्रीपेड मीटरों में स्थानांतरण के लिए रोड मैप

महोदय/महोदया,

कृपया माननीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के दिनांक 28.05.2019 के अ.शा. पत्र (प्रति संलग्न) तथा 16.08.2018 के पत्र (प्रति संलग्न) का संदर्भ लें, जिनमें आगामी 3 वर्षों के भीतर स्मार्ट प्रीपेड मीटर या प्रीपेड मीटर में स्थानांतरण के लिए एक रोडमैप तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटरिंग के लाभ सर्वविदित हैं। प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटरों से बिलिंग और संग्रह की समस्या से मुक्ति मिलती है, संग्रह की लागत में कमी आती है, भुगतान न करने के मामले में डिस्कनेक्शन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है, संवहन लागत में कमी आती है, परिशुद्ध मांग पूर्वानुमान में सक्षमता प्राप्त होती हैं और ऊर्जा संरक्षण होता है। इससे उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ राजस्व में वृद्धि और लेन-देन की लागत में कमी होती है।

3. राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा रोडमैप के साथ-साथ प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटरों की संस्थापना में अंतरिम रूप में प्रगति की गई होगी। विद्युत मंत्रालय ने भी राज्यों, जिन्होंने सहायता का अनुरोध किया था, को आईपीडीएस के अंतर्गत लगभग 41 लाख स्मार्ट मीटरों के लिए 830 करोड़ रूपये की निधियां संस्वीकृत की हैं। स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन के तहत भी स्मार्ट मीटरों के लिए वित्तपोषण किया गया है। इन स्कीमों के तहत खरीदे गए सभी स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में समनुरूप किया जाएगा।

4. अतः यह अनुरोध है कि राज्य सभी उपभोक्ताओं के संबंध में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लिए अपने रोडमैप के साथ-साथ पहले से शुरू किए गए/प्रक्रियाधीन स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं की प्रगति यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

5. इसका अलावा, पुनः यह भी उल्लेख किया जाता है कि राज्य/डिस्कॉम **प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर** में स्थानांतरण करें और इसका कार्यान्वयन आगामी तीन वर्षों के भीतर किया जाए।

6. इसे माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,
ह0/-
(जी स्वान जा लियान)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23708051

प्रति:

माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव/सचिव (विद्युत) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/विशेष सचिव (एसएनएस) के प्रधान निजी सचिव
संयुक्त सचिव (वितरण) के प्रधान निजी सचिव/निदेशक (वितरण) के निजी सचिव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी
निदेशक, एनएसजीएम/एनपीएमयू

आर के सिंह

विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
भारत सरकार

अ.शा. पत्र संख्या 239628/एमओएस(आईसी)/पावर/2018

28.05.2018

आदरणीय विपलब जी,

जैसे-जैसे उपभोक्ताओ की संख्या में वृद्धि होती रही है, वैसे ही मीटर रीडिंग, बिलों की सर्विस और बिलों का भुगतान न होने के मामले में डिस्कनेक्शन में कठिनाईयों में भी वृद्धि हुई है। ये कठिनाइयां, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, जहां मीटर रीडिंग यदा-कदा होती है और उपभोक्ताओं तक बिल दो से तीन महीनों में पहुंचता है और बिलों का भुगतान न करने के मामले में डिस्कनेक्शन और अधिक कठिन होता जा रहा है। सौभाग्य के अंतर्गत, हम 3.70 करोड़ अतिरिक्त उपभोक्ताओं को शामिल करने जा रहे हैं। इससे मीटर रीडिंग, बिलिंग, संग्रहण और डिस्कनेक्शन में और अधिक कठिनाईयां आएंगी। अतः, हमें प्रौद्योगिकी की सहायता लेने की आवश्यकता है। तदनुसार, हम विद्युत आपूर्ति को पोस्ट-पेड मोड से प्री-पेड मोड में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करते हैं। इससे मीटर रीडिंग, बिलों की सर्विस या भुगतान न होने के मामले में मैनुअल डिस्कनेक्शन की अनिवार्यता से मुक्ति मिलेगी। हम इस परिवर्तन को एक बार आरम्भ करने के बाद तीन वर्ष के भीतर समयबद्ध रीति से करने का प्रस्ताव करते हैं।

2. प्रीपेड मोड गरीब लोगों के लिए इसलिए लाभकारी है कि वे एक माह में कई बार रिचार्ज कर सकते हैं और एक बार में 50/- रूपये या 100/- रूपये का भी रिचार्ज कर सकते हैं। यह गरीब लोगों को अपना कनेक्शन बरकरार रखने में मदद करेगा। वे 30 दिनों के लिए भुगतान, जो पोस्टपेड मोड में अनिवार्य है, की बजाय एक बार में पांच से छः दिन का रिचार्ज करने में अधिक सहज महसूस करेंगे। यह वितरण कंपनियों के लिए भी लाभकारी होगा क्योंकि उन्हें मीटर रीडिंग/बिलों की सर्विस/संग्रहण और डिस्कनेक्शन की आवश्यकता से निजात मिलेगी। हम प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर कार्यक्रम का प्राथमिकता देना चाहेंगे। इन्हें सभी शहरी क्षेत्रों में संस्थापित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, साधारण प्री-पेड मीटर ही पर्याप्त होंगे।

3. मैं आभारी होउंगा यदि आप अपने राज्य के ऊर्जा विभाग और डिस्कॉमों को आगामी तीन वर्षों के भीतर स्मार्ट/प्रीपेड मीटर में स्थानांतरण के लिए एक रोडमैप तैयार करने और इसे हमारे साथ साझा करने का निदेश दे सकें।

सादर,

विश्वासभाजन
ह0/-
(आर. के. सिंह)

श्री विप्लब कुमार देव
माननीय मुख्यमंत्री, त्रिपुरा
त्रिपुरा सरकार
सचिवालय
अगरतला-799 001

फा. सं.26/9/2015-आईपीडीएस(खंड II)(भाग)(238595)

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

*****

नई दिल्ली, दिनांक 07 अगस्त, 2020

सेवा में,

सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा)/सभी डिस्कॉमों के प्रबंध निदेशक

विषय - आगामी 3 वर्षों के भीतर स्मार्ट/प्रीपेड मीटरों में स्थानांतरण के लिए रोड मैप

महोदय/महोदया,

कृपया इस मंत्रालय के दिनांक 02.08.2019 और 16.08.2018 के समसंख्यक पत्र (प्रति संलग्न) का संदर्भ लें, जिनमें आगामी 3 वर्षों के भीतर स्मार्ट प्रीपेड मीटर या प्रीपेड मीटर में स्थानांतरण के लिए एक रोडमैप तैयार करने का अनुरोध किया गया है। रोडमैप सहित उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं।

2. बिलिंग न होना, गलत बिलिंग, चोरी, उपयोग की गई ऊर्जा के बिलों का संग्रह न होना आदि उच्च एटीएंडसी हानियों के मुख्य कारण हैं। इन सभी कारणों में एक अंतर्निहित कारक अर्थात् एक मानव इंटरफेस मौजूद है। प्रौद्योगिकी द्वारा मानव इंटरफेस को प्रतिस्थापित करते हुए प्रीपेड मीटरिंग यूटिलिटियों को इन समस्याओं का समाधान करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह उपभोक्ताओं को उनकी स्वयं की आवश्यकता और बजट के अनुसार विद्युत का उपयोग करने में भी सक्षम बनाएगी। जिन क्षेत्रों में प्रीपेड मीटरिंग आरम्भ की गई है उनमें एटीएंडसी हानियों में काफी कमी आई है। मणिपुर में, यह हानि 47 प्रतिशत से कम होकर 15 प्रतिशत तक हो गई है।

3. अतः, यथाशीघ्र प्रीपेड मोड- या तो प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग या साधारण प्रीपेड मीटरिंग - में स्थानांतरण यूटिलिटियों के हित में है। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के कुछ अतिरिक्त लाभ भी होंगे जैसे रिमोट टैरिफ अपडेट, वास्तविक समय ऊर्जा संपरीक्षा और टीओडी टैरिफ - किंतु प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग या साधारण प्रीपेड मीटरिंग को चुनने का विकल्प केवल राज्यों के पास है। प्रीपेड में स्थानांतरण की अनिवार्य अपेक्षा मैनुअल इंटरफेस से मुक्ति पाना और लेन-देन की लागत को कम करना है। यह अनुरोध है कि प्रीपेड प्रणाली में स्थानांतरण को आरम्भ किया जाए और इसे चरण-वार कार्यान्वित किया जाए। यह अनुरोध है कि इस मंत्रालय को की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

4. इसे माननीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा माननीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

ह0/-

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

संयुक्त सचिव (वितरण)

प्रति:

1. माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव
2. सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
3. अपर सचिव (वितरण), विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (वितरण), विद्युत मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव
5. निदेशक (वितरण) के निजी सचिव
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी
7. निदेशक, एनएसजीएम/एनपीएमयू

****